विचार बिन्दु

चापलूस आपको हानि पहुंचा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। –हरिऔध

स्वास्थ्य का अधिकार (राइट-टु-हैल्थ) व्यक्ति का मानव अधिकार है, साथ ही मूल अधिकार भी है

मानव के जीने के अधिकार के साथ अन्य अधिकारों की घोषणा से संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म सफल हुआ। मानव के अधिकारों में मानव के गरिमामय जीने के अधिकार को मजबूत धरातल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक नहीं अनेक केसेज में संविधान के अनुच्छेद 21 की जो व्याख्या की है उसमें जीने के अधिकार में गरिमा के साथ जीने को अधिकार का अभिन्न अंग माना है। जीने के अधिकार में इस प्रकार प्रदूषण मुक्त पर्यावरण स्वच्छ पीने के पानी शुद्ध व पौष्टिक खाने की बात कही है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ पंजाब बनाम महेन्द्र सिंह 1997 (2) एससीसी 83 में कहा है "The right to life includes the right to health" इसी भावना से सतत् विकास के 17 लक्ष्य व 109 निर्देश निर्धारित हुये। उसमें भी स्वास्थ्य के अधिकार को जीने के अधिकार के रूप में माना गया है। मानव को स्वास्थ्य का मूल अधिकार है तथा पर्यावरण की शुद्धता के लिये स्वास्थ्य का मूल अधिकार है। जिस प्रकार शिक्षा के बिना जीवन गरिमा मय नहीं हो सकता है उसी प्रकार गरिमामय जीवन के लिये अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। यही बात Declaration of Human Right 1948 में थी तथा सिविल व पोलिटिकल कॉवेनेन्ट, 1966 में भी स्पष्ट तौर पर स्वास्थ्य के अधिकार की बात कही गई है।

यदि हम नीति निदेशक तत्वों की बात करें तो उसके अनुच्छेद 41 में इन्हें लागू करना इस पर लागू करता है कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। आज की परिस्थितियों में आर्थिक निर्भरता की बात करना बेमानी है। स्वंय अनुच्छेद 38, 47 व 39 जो नीति निदेशक तत्वों के चेप्टर के भाग हैं उसमें भी इसे स्पष्ट किया है। अत: जीने के अधिकार में अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीना भी आता है। ये अधिकार मानव अधिकार के रूप में न्यायालय में प्रवर्तनशील हैं।

राजस्थान की कांग्रेस सरकार राइट-टू-हेल्थ बिल लेकर आई थी, किन्तु उसमें कई खामियां थीं जिन्हें पूरा करना आवश्यक माना गया और बिल को प्रवर समिति को भेज दिया। इंडियन मेडिकल एसोसियेशन ने कहा है कि बिल को पेश करने से पूर्व उनसे बात तक नहीं की गई। बिल में शुद्ध पीने के पानी की बात व शुद्ध खाद्य पदार्थों का उल्लेख है, किन्तु पीने का पानी कहाँ है? 16 जिलों के लोग इंदिरा गांधी नहर का पानी पी रहे हैं जिसमें सिवरेज का पानी लाया जा रहा है। नकली खाद्य पदार्थ खुले में बिक रहे हैं। नकली दवाओं के सहारे, मरीजों का इलाज हो रहा है। राज्य में 20 हजार करोड का नकली दवाओं का व्यापार है। लोग सिवरेज के पानी में पैदा की गई सब्जियां खा रहे हैं। अस्पतालों में टायलेट की दुर्दशा की अपनी ही कहानी है। कई परिभाषायें जो बिल में आई हैं वे स्वयं अस्पष्ट है, समझ से परे हैं। आपात स्थिति परिभाषित नहीं है। आपात स्थिति में मरीज को इलाज से मना नहीं किया जा सकता, किन्तु सही परिभाषा का अभाव मरीज को इलाज नहीं दिला सकता।

डॉक्टरों ने भी इस बिल पर विरोध दर्शाया है उनका कहना है कि उनकी सुरक्षा के हेतु उचित व्यवस्था बिल में नहीं है।

बिल में प्रावधान है कि मरीज की मृत्यु पर शव उनके संबंधियों को लौटा दिया जावेगा चाहे फीस दी हो या नहीं इसका विपरीत असर होगा कि इमरजेन्सी के मरीज को भर्ती ही नहीं करेंगे उसे अन्य अस्पताल में भेज देंगे, रेफर कर देंगे।

नये कानून में यह प्रावधान हो कि प्राइवेट अस्पताल को पेमेन्ट सरकार द्वारा किया जावेगा। कब, कैसे और कितने समय में और किस योजना से, इस संबंध के प्रावधान स्पष्टता के साथ होने चाहिये। इसके अतिरिक्त चूक करने पर कानूनी कार्यवाही हो जिसका निस्तारण अतिशीघ्र हो।

एक विवाद यह भी है कि प्राइवेट अस्पताल मनमर्जी से पैसा ले रहे हैं जबकि चिरंजीवी योजना के लाभार्थी से पैसे नहीं लिये जा सकते। प्राइवेट सेक्टर के 890 अस्पताल चिरंजीवी योजना में पंजीकृत हैं, किन्तु प्राइवेट अस्पताल मरीज से या मरीज के रिश्तेदार से स्वीकृति पत्र भरवा लेते हैं अर्थात "उन्हें चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं लेना"। परिणाम स्वरूप प्राइवेट अस्पताल मोटा बिल बना लेते हैं। नये कानून में यह प्रावधान हो कि प्राइवेट अस्पताल को पेमेन्ट सरकार द्वारा किया जावेगा। कब, कैसे और कितने समय में और किस योजना से, इस संबंध के प्रावधान स्पष्टता के साथ होने चाहिये। इसके अतिरिक्त चूक करने पर कानूनी कार्यवाही हो जिसका निस्तारण अतिशीघ्र हो।

यह सही है यह बिल इसलिये लाया गया है, इसके माध्यम से मरीज को प्राइवेट अस्पतालों से सेवा लेने का कानूनी अधिकार मिल सके, किन्तु इसके प्रावधान ऐसे हैं कि विवाद होने पर मामला मेडिकल ऑथोरिटी को ही जायेगा, सिविल कोर्ट को नहीं, क्योंकि कोर्ट का अधिकार क्षेत्र प्रतिबंधित है।

सरकार ने इस बिल को क्रान्तिकारी कदम कहा है किन्तु बिल में कई प्रावधान ऐसे हैं जो स्पष्ट नहीं हैं। कई प्रावधान इसमें नहीं हैं जो होने चाहिये। बिल में प्रावधान है कि आपात स्थिति में मरीज यदि इलाज हेतु लाया जाता है तो उसे इलाज के हेतु मना नहीं किया जा सकता, किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि वह आपात स्थिति क्या है?

चिरंजीवी योजना के मरीज का मुफ्त इलाज होना चाहिये, किन्तु ऐसा वास्तव में नहीं हुआ है। प्राइवेट अस्पतालों के पेमेन्ट के बिल में एक बात अच्छी है, इसमें यह प्रावधान है कि मरीज को यह अधिकार दिया है और प्राइवेट अस्पताल की डयूटी है कि वह मरीज को बीमारी क्या है तथा उसका कारण क्या है? तथा उपचार के हेतु क्या क्या परीक्षण कराना है और इलाज के बाद भी क्या विकृति हो सकती है? इसके अतिरिक्त इलाज के हेतु क्या खर्चा होगा इसे भी अस्पताल को बतलाना होगा। इनसे मरीज अस्पताल या डॉक्टर बदलने का निर्णय ले सके।

बिल की महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें यह बाध्यकारी प्रावधान है कि सरकार अपने बजट में प्रावधान रखेगी कि भविष्य में डाक्टर्स व नर्सेज की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। आवश्यक हो तो अतिरिक्त बजट भी ला सकती है जिससे आवश्यक Infrastructure के हेतु अस्पतालों को रकम मिल सके। विवाद के निपटाने के हेतु डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑथोरिटी की स्थापना की व्यवस्था है।

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णयों में यह स्पष्ट किया है बिल तभी पारित हो जब उस पर वांछित डिबेट हो। यही कारण हो सकता है इसे प्रवर कमेटी को भेजा गया है और अपेक्षा की गई है आगामी सत्र के पहले सेशन में प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। प्रवर समिति में कौन-कौन होंगे इसकी सूची शीघ्र प्रकाशित होगी।

राइट-टू-हेल्थ का कानून निश्चित रूप से लाना एक अच्छा कदम है, किन्तु इस योजना का धरातल मजबूत होना चाहिये। आशा है पक्ष व विपक्ष तथा एनजीओ, डॉक्टर्स आदि अपने-अपने सुझाव देंगे और विधानसभा जो कानून पास करेगी वह देश के हेतु एक उदाहरण होगा। साथ ही चिरंजीवी योजना का लाभ जनता को मिल सके इस संबंध में जनता की जानकारी के हेतु उचित प्रचार किया जावेगा। देश में कई अच्छी-अच्छी योजनायें स्वास्थ्य के लिये हैं तथा अन्य विषयों के संबंध में किन्तु इनका लाभ केवल कुछ प्रतिशत लोगों को ही मिल पाता है अत: भारत सरकार व राज्य सरकार का एक अपना विभाग होना चाहिये उसके अधिकारी और कार्यकर्ताओं का कर्त्तव्य हो कि वे अधिक से अधिक लोगों का इन योजनाओं का लाभ दिलावें। उन्हें दिये जाने वाले वेतन के दो भाग होंगे, एक तो फिक्स्ड वेतन व दूसरा लाभार्थियों की संख्या पर निर्भर होगा। सरकारी योजनायें तो बहुत हैं, किन्तु अधिकांश को यह जानकारी नहीं है कि कौन इसका लाभ ले सकते हैं और कैसे व कहां यह लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य का अधिकार मानव अधिकार व मूल अधिकार है। शिक्षा की तरह यह भी चेरिटी है और समाज की भी सोशल डयूटी।

हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित दु:ख भाग्भवेत। सभी सुखी होवें, सभी स्वस्थ रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बनें और किसी को भी दु:ख का भागी न बनना पड़े।

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

विदेशी मुद्रा भंडारण में हो रही कमी आर्थिक चिंता का सबब

भारत में इन दिनों काफी आर्थिक हलचलें देखने को मिल रही हैं। इन सबका एक ही नज़रिए से विश्लेषण करना सही नहीं होगा। जैसे कि एक गौरवान्वित होने वाला पहलू तो यह रहा कि हम पर डेढ़ सौ वर्षों तक राज करने वाले इंग्लैंड को आर्थिक विकास के मोर्चे पर पीछे छोड़कर भारत विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गये । इसके अलावा प्रथम तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जहां ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि चालू वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था आगामी तीन तिमाहियों के अंशदान को जोड़कर 8 प्रतिशत की विकास दर के आस-पास पहुंच जाएगी। ये बात कुछ हद तक सकारात्मक भी प्रतीत होती है क्योंकि इन दिनों त्योहारों के दिन शुरू हो चुके हैं तथा आगामी दो तिमाहियों में नवरात्रा, दशहरा, दीपावली व क्रिसमस के रहते प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता में निरंतर बढ़ोतरी देखी जाएगी। हालांकि इस पक्ष पर बढ़ती महंगाई एक चिंता का विषय है। लगातार बनी हुई बेरोजगारी की समस्या भी जस की तस है। इसके अलावा अभी भी असंगठित क्षेत्रों में सलंग्न कई छोटे व्यापार-धंधे कोरोना महामारी की पूर्व की आर्थिक स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं।

वहीं दूसरी तरफ पिछले 1 वर्ष में विदेशी मुद्रा भंडार में आई तीव्र कमी एक ऐसा अन्य पक्ष प्रस्तुत करती है जिसे देखकर घबराहट का अंदेशा भी प्रतीत होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सितंबर माह की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 वर्ष में लगभग 90 बिलियन डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा भंडार में कमी देखी गई है जो कि तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है। पिछले वर्ष इसी माह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडारण का संठाहण 640 बिलियन डॉलर से अधिक था जो कि अब तकरीबन 550 बिलियन अमेरिकन डॉलर ही रह गया है। यानी कि पिछले 1 वर्ष में विदेशी मुद्रा भंडार का संठाहण 14 प्रतिशत कम हो गया। इस कमी के दौरान आश्चर्यचकित करने वाली बात यह भी सामने आई है कि जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक के पहले 8 महीनों में करीब 80 बिलियन अमेरिकन डॉलर की कमी हुई है जिसे औसतन 10 बिलियन डॉलर प्रति माह भी देखा जा सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार में हुई इस कमी को सामान्य तौर पर लेना पूर्णतया अव्यवहारिक होगा। गौरतलब है कि पिछले एक दशक में अधिकतम विदेशी मुद्रा भंडार में कमी वर्ष 2018 में हुई थी जो कि तकरीबन 13 बिलीयन अमेरिकन डॉलर की थी। इसके अलावा कोरोना महामारी से प्रभावित दोनों वर्ष 2020 व 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि आंकी गई थी। और तो और वैश्विक मंदी के समय में भी भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 70 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ही कम हुआ था।

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को विदेशी मुद्रा भंडारण में कमी को बड़ी सजगता से संभालना पड़ता है क्योंकि

डॉ. पीएस वोहरा

- एक वर्ष में लगभग 90 बिलीयन डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा भंडार में कमी देखी गई है
- रुपया अमेरिकन डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है

ये उनके लिए बड़ी जल्दी एक आर्थिक संकट का सबब बन जाता है। इस बात को हाल ही के दिनों में हमने श्रीलंका में बड़ी नजदीकी से देखा व समझा है। इन दिनों यही कश्मकश पाकिस्तान व बांग्लादेश में भी चल रही है। तो क्या यह समझा जाए कि भारत में भी ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है? वर्तमान समय में ये कहना पूर्णतया बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि भारत विश्व की एक विशाल व तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। उन कारणों को जानना भी अत्यंत आवश्यक है जो इस विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के पीछे हैं। पहला व मुख्य कारण तो यह है कि भारतीय मुद्रा रुपया पिछले लंबे अरसे से अमेरिकन डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है। पिछले दिनों इसमें ऐतिहासिक स्तर पर गिरावट दर्ज की गई जब एक डालर 80 के पार पहुंच गया था। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष में अब तक भारतीय रुपया करीब 7.5 प्रतिशत के आस-पास गिर चुका है। निश्चित रूप से डॉलर की मजबूती के पीछे कई वैश्विक कारण है। एक समस्या तो इन दिनों अमेरिका व यूरोप में चल रही अत्यधिक महंगाई की है। उसे नियंत्रण करने के चक्कर में अमेरिका का केंद्रीय बैंक लगातार वहां पर ब्याज की दरों में बढ़ोतरी कर रहा है जिसके प्रभाव में भारत का रुपया लगातार कमजोर हुआ है। दूसरा पक्ष रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण कच्चे तेल के मूल्यों में हुई बढ़ोतरी है जिसके कारण भारतीय आयात काफी महंगे हुए हैं और परिणाम स्वरूप अधिक विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में अमेरिका में हो रही ब्याज की दरों में लगातार बढ़ोतरी से वहां प्रति व्यक्ति उपभोग क्षमता कम होगी ताकि महंगाई नियंत्रित हो परंतु उसके परिणाम स्वरूप उनके आयात भी कम होंगे जिसका नकारात्मक प्रभाव भारत के निर्यातों पर पड़ेगा इससे आने वाले समय में विदेशी मुद्रा भंडार में और कमी होगी।

एक बात यह भी समझी जानी आवश्यक है कि विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी मुल्क की आर्थिक बचत का स्त्रोत नहीं होता है बल्कि वो एक आर्थिक धरोहर के रूप में होता है। इसकी प्राप्ति का मुख्य स्त्रोत जहां एक तरफ निर्यात हैं तो वहीं दूसरी तरफ विदेशों में बसे भारतीयों के द्वारा अपने मुल्क को भेजी गई विदेशी मुद्रा भी है, जिसे रेमिटेंसेस भी कहा जाता है। इसके अलावा अन्य स्त्रोतों में भारत का विदेशी संस्थानों से लिया गया ऋण भी है या विभिन्न देशों के साथ आर्थिक सहयोग से चल रहे प्रोजेक्ट्स हेतु प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा भी है। इस संग्रहण का उपयोग जहां एक तरफ आयातों के भुगतान के लिए होता है तो वहीं दूसरी तरफ देश की रक्षा तथा अनुसंधान हेतु विभिन्न तरह के खरीदे गए उपकरणों के भुगतान में भी किया जाता है। भारत एक आत्मनिर्भर मुल्क नहीं है इसलिए यह कहना अत्यंत जायज होगा कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी जहां एक तरफ आयातों के भुगतान को गड़बड़ा सकती है तो वहीं दूसरी तरफ विभिन्न विकास की परियोजनाएं भी इससे प्रभावित हो सकती हैं।

–डॉ. पीएस वोहरा,
आर्थिक मामलों के जानकार

बस स्टैंड के लिए दान की गई जमीन बनी कूड़ागाह

अलवर, (निसं)। गोविन्दगढ़ उपखंड के बस स्टैंड के लिए दान की जाने वाली जमीन पर गंदगी पसरी पड़ी है। फिर भी अधिकारी बस स्टैंड से मुंह फेर रहे हैं। कस्बे के नागरिक दर्जनों बार रोडवेज प्रबंधक से मिल चुके हैं। वहीं ग्रामीण गंदगी के आलम से परेशान हैं। वर्तमान में बस स्टैंड की जमीन में नालों का गंदा पानी जमा है। बरसात में पानी फुल होने के बाद कॉलोनी के नागरिकों के घरों में भर

- 20 साल से नहीं हुआ भूमि का उपयोग
- जमीन वापस लेने के लिए कोर्ट पहुंचा दानदाता परिवार

गोविंदगढ़ बस स्टैण्ड पर फैला कचरा।

जाता है। बस स्टैंड की जमीन के दानदाता किशन बलदेव ने जमीन को वापस लेने का दावा कोर्ट में कर दिया जो अभी विचाराधीन है। अलवर रोडेवेज प्रबंधक नीतू कटारा ने बताया कि गोविंदगढ में रोडवेज विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय का फैसला आने पर वहां पर निर्माण कार्य कराया जाएगा।

रोडवेज बस स्टैंड के लिए जमीन दान में देने वाले ने कहा कि हमने बस स्टैंड के लिए जमीन दी थी। दान में देने के बाद रोडवेज विभाग ने कुछ वर्ष तक ही बसों का संचालन यहां से किया था। अब यहां से रोडवेज बसों का संचालन नहीं हो रहा है और बस स्टैंड की जगह में कदम कॉलोनी का पानी भरा रहता है। रोडवेज विभाग बस स्टैंड की जमीन का उपयोग रोडवेज स्टैंड के लिए करें या फिर हमें हमारी जमीन वापस दे। इसके लिए कोर्ट में दावा भी पेश किया गया है।

छह मारवाड़ी घोड़े बांग्लादेश भेजे गये

जोधपुर, (कासं)। ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी व मारवाडी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के मुख्य संरक्षक पूर्व नरेश गज सिंह द्वारा रजिस्टर्ड मारवाडी घोड़ों की समृद्धि, संरक्षण व इसके एक्सपोर्ट के लिए किए जा रहे प्रयास अब रंग लाए हैं। उम्मेद भवन पैलेस के मारवाड़ स्टड बालसमंद लेक पैलेस के छह अश्वों के आधिकारिक एक्सपोर्ट की अनुमति मिली है ।

ऑल इंडिया मारवाडी हॉर्स सोसाइटी व मारवाडी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसायटी ऑफ इंडिया के सचिव जंगजीत सिंह नाथावत ने बताया कि उम्मेद भवन पैलेस के बालसमंद लेक पैलेस स्थित मारवाड़ स्टड के छह रजिस्टर्ड मारवाडी अश्व राज ज्ञानेश्वरी, राज ज्वाला , राज सुजाता, राज रतन ,राज शिव एवं राज मूमल को पहली बार देश से बाहर एक्सपोर्ट करने की आधिकारिक अनुमति मिली है । सोमवार को इन्हें बांग्लादेश के लिए हार्स एंबुलेंस से रवाना किया जो गुरुवार को बांग्लादेश पहुंचे हैं । उन्होंने बताया कि कोलकाता की जे के ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से इनका एक्सपोर्ट हुआ है । इन घोड़ों को बांग्लादेश पुलिस ने बांग्लादेश के राष्ट पति की शाही बग्गी के लिए क्रय किया है जो विभिन्न महत्वपूर्ण समारोह में राष्ट्रपति की बग्गी की शोभा बढाएंगे।

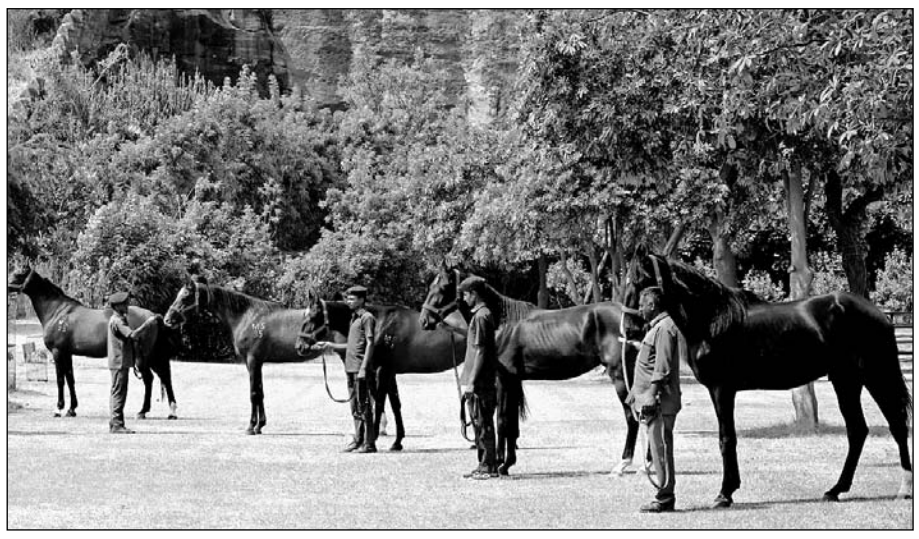

मारवाड़ी नस्ल के घोडे जिन्हें बांग्लादेश भेजा गया।

सचिव नाथावत ने बताया कि पूर्व नरेश गजसिंह लगातार मारवाडी अश्वों की नस्ल के लिए प्रयास कर रहे हैं ।उन्होंने बताया कि पहले एक्सपोर्ट प्रतिबंधित था पर वर्षों से प्रयास के बाद अब केस टू केस लाइसेंस के आधार पर मारवाडी अश्वों का एक्सपोर्ट होने की अनुमति दी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि इससे मारवाड़ी अश्व पालकों को एक्सपोर्ट की सुविधा मिल गयी है।उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का पशुपालन विभाग इसके लिए एनओसी देता है व डीजी एफ टी डॉक्यूमेंट के आधार पर लाइसेंस जारी करता है। उन्होंने बताया कि मारवाड़ी अश्वों के विकास व बढोतरी को लेकर सबसे पहले वर्ष 2002 मे उम्मेद भवन पैलेस में इसको लेकर सेमिनार की व कार्य योजना बनायी। उसी आधार पर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार ने 2006 में इस कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की व मारवाड़ी घोडों के चरित्र चित्रण को मान्यता दी। उन्होंने बताया कि पूर्व नरेश द्वारा मारवाडी घोड़ों के संरक्षण के लिए जोधपुर में 2012 से मारवाड़ हॉर्स शॉ का आयोजन हो रहा है। देश के केरल महाराष्ट पंजाब, हरियाणा गुजरात, उत्तरपदेश, मध्य प्रदेश सहित देशभर के अश्वपालक अश्व लेकर शरीक होते हैं।

- मारवाडी घोड़ों के संरक्षण के लिए 2012 से मारवाड़ हॉर्स शॉ का आयोजन हो रहा है

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 30 सितम्बर, 2022

आश्विनी मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2079, अनुराधा नक्षत्र रात्रि 4:19 तक, प्रीति योग रात्रि 10:32 तक, बव करण दिन 10:22 तक, चन्द्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-वृष, बुध-कन्या, गुरू-मीन, शुक्र-कन्या, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

रवियोग शनिवार प्रात: 5:13 तक रहेगा। आज बुध उदय पूर्व में रात्रि 9:25 पर होगा। आज उपांग ललिता व्रत, ललिता पंचमी, नत पंचमी है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:51 तक, लाभ-अमृत 7:51 से 10:44 तक, शुभ 12:17 से 1:45 तक, चर 4:43 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:22, सूर्यास्त 6:11

मेष

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। वाणी पर संयम रखना ठीक रहेगा।

वृष

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

कर्क

परिवार में शुभ-मांगलिक संदेश प्राप्त होंगे। धार्मिक और आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

सिंह

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठा का ध्यान रखे।

कन्या

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

तुला

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा।

वृश्चिक

अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। व्यक्तिगत पारिवारिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।

मकर

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन प्राप्त होगा। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन

धार्मिक-सामाजिक समारोह में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी।